

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण वर्ष 1978 से 2012-2009 तक की तिथि तक.

अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम डा. अशोक चंद्र खरिह वर्तमान धारित पद प्रोफेसर
 वर्तमान वेतन 18300-00 अगली वेतनवृद्धि की तारीख

उस जिले, उप सभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यारे		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया। खरीद पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की गई हो उसका नाम एवं ब्यौरा	संपत्ति की वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
1			4	5	6	7	8
जिला हजारा तहसील कालिका गांव बीकानेर खेत सुल्तानपुर	कृषि भूमि 23 एडर	170 एडर	65 लाख 20 हजार	बिचड़े नाम पर खेती के नाम पर	खेती विरासत	2 लाख रुपय खेती	
हजारा तहसील	भूमि	15' x 123'	10 लाख 50 हजार	पटेल के नाम पर	खेती विरासत	-	
हजारा	खेत	17' x 75'	3.50 लाख 50 हजार	जैन के नाम पर	खेती विरासत	-	
हजारा	भूमि	20 x 35'	2.50 लाख 50 हजार	जैन के नाम पर	खेती विरासत	-	
हजारा	भूमि	30 x 50'	7.00 लाख 50 हजार	जैन के नाम पर	खेती विरासत	-	
जिला बीकानेर हजारा	कृषि भूमि	2.50 एडर	15.00 लाख 50 हजार	खेती के नाम पर	खेती विरासत	25,000.00	

• जहाँ लागू न हो काट दीजिए।
 • ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
 • इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी:- म.प्र. शासकीय सेवक (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात यह घोषणा मात्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उसके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यारे दें।

हस्ताक्षर
 नाम डा. अशोक चंद्र खरिह
 पद प्रोफेसर Commerce Principal
 विभाग Govt Arts College
College HARA
M.P.